न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 79/2016 राजस्व वाद

दायर दिनांक– 30.8.2016

फैसल दिनांक–

1–श्री फजले हुसैन पिता अब्दुल सत्तार घांची निवासी गलियाकोट हाल सागवाडा

2– श्री इल्यिास पिता अब्दुल सत्तार घांची जरिये अधिकार पत्र श्रीमती जूबेदा पत्नि फजलेहुसैन घांची निवासी गलियाकोट हाल सागवाडा ।

(वादीगण)

बनाम

1– श्री हबीब रहमान पिता अब्दुल सत्तार घांची निवासी गलियाकोट

2– श्रीमती जूबेदा बेवा अब्दुल सत्तार घांची निवासी गलियाकोट

3– श्रीमती शरीफा पूत्री अब्दुल सत्तार घंची पत्नि मूसा घांची निवासी गलियाकोट हाल सागवाडा

4– श्रीमती शायरा पूत्री अब्दुल सत्तार घांची पत्नि अब्दुल रब घांची निवासी गलियाकोट हाल सागवाडा

5– श्रीमती मून्ना पूत्री अब्दुल सत्तार घांची पत्नि अब्दूल रब घांची निवासी गलियाकोट हाल सागवाडा

6– श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील गलियाकोट ।

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी– श्री निखिल सोमपुरा

वकील प्रतिवादी – ––

वाद बाबत जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा ,घोषणा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188,209 रा0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार व गांव के निवासी हैं । वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

भूमि मोजा गलियाकोट के खाता संख्या 272/383 कुल खसरा नम्बर 18 कुल रकबा 18 बीघा07 बिस्वा स्थित है उपरोक्त सभी भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज हो उसका उपयोग उपभोग व काश्त पीढी दर पीढी करते आ रहे हैं । यह कि उक्त खसरों में से प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की सहमती के बिना एवं मौके पर बंटवारा हुए बिना बेचान करने उतारू हो रहे हैं ओर स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा उसे अपनी भूमि बताई जा रही है जबकि उक्त भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण के द्वारा वाद के अन्त में मौजा गलियाकोट में वादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि ख़ाता संख्या 272/383 कुल खसरा नम्बर 18 रकबा कुल 18 बीघा 07 बिस्वा पर प्रतिवादीगण कोई अतिक्रमण ,कब्जा बेचान करने की नियत से न तो स्वयं या अपने एजेण्ट मजदूर ठेकेदार रिश्तेदार अन्य किसी से करावे तथा किए गए अतिक्रमण कार्य को ध्वस्त किया जावे एवं वादीगण के खातेदारी भूमि में वादीगण के निर्माण व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से रूकावट पैदा नहीं करें जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने तथा ावादीगण की खातेदारी व कब्जेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण व बेचान नहीं करें और वादीगण के उसके उपयोग उपभोग में कोई रूकावट पैदा नहीं करें और उक्त भूमि को वादीगण की घोषित की जावे और दौराने दावा अगर प्रतिवादीगण द्वारा कोई अतिक्रमण व बेचान कर लिया जाता है तो उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से ध्वस्त व रद्द किया जाने निवेदन किया गया है ।

वादीगण द्वारा वाद समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज नकल जमाबन्दी ,खसरा गिरदावरी एवं पॉवर ऑफ अटार्नी पेश की है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से दिनांक 17.10.2016को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वकील वादी ने साक्ष्य में गवाह जूबेदा के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्श कराए तथा साक्ष्य वादी बन्द कराई जाने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान जमावन्दी मौजा गलियाकोट संवत 2071–74 खाता संख्या 272/383 की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि खातेदार के स्थान पर फजले हुसैन ,इलियास ,हवीवूररहमान, शरीफा , शायरा मुसा पिता अब्दुल सत्तार जूबेदा बेवा अब्दूल सत्तार मुसलमान सा0देह हि0व0 खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वकील वादी ने अपनी बहस जारी रखते

अखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

बताया कि उपरोक्त खाते की भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज हो उसका उपयोग उपभोग व काश्त पीढी दर पीढी करते आ रहे हैं । यह कि उक्त खसरों में से प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की सहमती के बिना एवं मौके पर बंटवारा हुए बिना बेचान करने उतारू हो रहे हैं ओर स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा उसे अपनी भूमि बताई जा रही है जबकि उक्त भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है।अतःसंयुक्त खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण कोई अतिक्रमण ,कब्जा बेचान करने की नियत से न तो स्वयें या अपने एजेण्ट मजदूर ठेकेदार स्तितेदार अन्य किसी से करावे तथा किए गए अतिक्रमण कार्य को ध्वस्त किया जावे एवं वादीगण के खातेदारी भूमि में वादीगण के निर्माण व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से रूकावट पैदा नहीं करें जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने तथा वादीगण की खातेदारी व कब्जेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण व बेचान नहीं करें और वादीगण के उसके उपयोग उपभोग में कोई रूकावट पैदा नहीं करें और उक्त भूमि को वादीगण की घोषित की जाने और दौराने दावा अगर प्रतिवादीगण द्वारा कोई अतिक्रमण व बेचान कर लिया जाता है तो उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से ध्वस्त व रद्ध. किया जाने निवेदन किया जाकर बहस समाप्त की गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध प्रर्दश पी–1खाता संख्या 272/383संवत 2071–74 की जमाबन्दी मौजा गलियाकोट की है इसमें खातेदार के स्थान पर फजले हुसैन ,इलियास ,हबीबूररहमान, शरीफा , शायरा मुसा पिता अब्दुल सत्तार जूबेदा बेवा अब्दूल सत्तार मुसलमान सा0देह हि0ब0 खातेदार दर्ज रेकार्ड होकर खातेदारान के हिस्से दर्ज नहीं है जिससे वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की है लेकिन इसमें किस खातेदार का कितना हिस्सा है अंकित नहीं है । वादी द्वारा साक्ष्य में अथवा बहस या वाद के संलग्न ऐसा कोई ठोस दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि संयुक्त खाते की भूमि का मौके पर सहखातेदारान में आपस में बंटवारा होकर बंटवारानुसांर मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज हो । संयुक्त खाते की भूमि का बंटवारा नहीं होना वादीगण स्वयं द्वारा भी वाद पत्र की कलम संख्या 1 में स्वीकार किया है ।

हमारा अभिमत है कि बिना बंटवारा अथवा रेकर्डेड अपना अपना हिस्से के किसी एक सहखातेदार को अन्य सहखातेदारान की सहमती के बिना संयुक्त खाते की भूमि विक्रय करने अथवा निर्माण करना नियमों के विपरित है ।वकील वादी ने भी अपनी बहस

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

में यही स्वीकार किया है कि बंटवारे के लिए दावा प्रस्तुत नही कर मात्र प्रतिवादीगण को संयुक्त खाते की भूमि पर निर्माण अथवा बेचान नहीं करने स्थाई निषेधाज्ञा की ही दाद चाही गई है ।

इसके अतिरिक्त वादी द्धारा प्रस्तुत वाद की कलम संख्या 12(2) में वादीगण की खातेदारी वं कब्जेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण व बेचान नहीं करें , वादीगण के उसके उपयोग उपभोग में कोई रूकावट नहीं करें , उक्त भूमि को वादीगण की घोषित की जावे ओर दौरान दावा अगर प्रतिवादीगण द्धारा कोई अतिक्रमण व बेचान कर लिया जाता है तो उसे आदेशात्मक निषेधाज्ञा से ध्वस्त व रद्ध किया जाने की दाद चाही गई है । लेकिन उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार हैं तथा इसकी पुष्टि वाद पत्र एवं वाद के साथ प्रस्तुत प्रदर्श –पी 1 जमाबन्दी से भी होती है तो हमारी राय में जब खातेदार हैं तो धोषणा कैसे की जा सकती है। इसी तरह वादीगण की ओर से वाद के संलग्न ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत किया है एवं न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है जिससे कि वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण द्धारा कोई निर्माण किया जाना अथवा दौराने वाद निर्माण किया जाना प्रमाणित होता हो , तो निर्माण ध्वस्त किये जाने के संबंध में आदेश दिया जाना संभव नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन से वादीगण सहखातेदार दर्ज रेकार्ड होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है ।

अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा गलियाकोट के खाता संख्या 272/383 कुल खसरा नम्बर 18 रकबा कुल 18 बीघा 07 बिस्वा पर ,कृषि कार्य के अतिरिक्त कोई अतिक्रमण ,कब्जा बेचान ~~करने की नियत से~~ न तो स्वयं करे न ~~या~~ अपने एजेण्ट मजदूर ठेकेदार रिश्तेदार या अन्य किसी से करावे ।

निर्णय आज दिनांक.............................. को सरे ईजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो ।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner